अध्याय 3

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोयला क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता बढ़ाने हेतु उपाय

अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। सीएमपीडीआईए विभागीय संसाधनों एमईसीएल तथा निविदा के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है।

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2017–18 में 4.51 लाख मीटर की विभागीय क्षमता में 11% की वृद्धि सहित वर्ष 2018–19 में लगभग 5.00 लाख मीटर तक वृद्धि की है ताकि सीआईएल तथा गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में ड्रिलिंग

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरानए गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग तथा लक्ष्य और वित्त वर्ष 2019.20 के लिए लक्ष्य इस प्रकार है:–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि :
2014-15	4.16	2.82	18.48
2015-16	4.82	2.87	1.77
2016-17	3.48	3.08	7.32
2017-18	4.99	4.86	57.79
2018-19	5.93	4.84	-0.41
2019-20	8.16	4.23 (अप्रै.'19 – दिसं.'19)	

लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कई कारण हैं जिनमें अपेक्षित निधियां उपलब्ध न होना, कई कोयला ब्लॉकों में गंभीर कानून तथा व्यवस्था की समस्या, वन अनुमोदन की अनुपलब्धता आदि है।

सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, सीआईएल ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग तथा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि :
2014-15	7.81	5.45	18.74
2015-16	10.15	7.06	29.54
2016-17	7.20	7.97	12.89
2017-18	7.04	8.48	6.40
2018-19	7.13	8.34	-1.65
2019-20	6.30	4.40 (अप्रै.'19 – दिसं.'19)	

कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

देश में कोयला क्षेत्र के लिए "विजन 2030" में मांग अनुमान तथा सीआईएल की मांग अनुमान के आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 तक लगभग 8% की वृद्धि दर पर पंचवर्षीय कार्य योजना का अनुमान लगाने के लिए एक भावी योजना तैयार की गई है ताकि देश में कोयले की मांग को पूरा किया जा सके। उत्पादन में अनुमानित वृद्धि हासिल करने के लिए सीआईएल ने प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है तथा उससे संबंधित मुद्दों का आकलन किया है।

वर्ष 2018–19 में सीआईएल का कोयला उत्पादन 610 मि.ट. लक्ष्य की तुलना में लगभग 607 मि.ट. था जोकि 99% उपलब्धि है। वर्ष 2019–20 में वार्षिक योजना लक्ष्य 660 मि.ट. है। इसके अलावा सीआईएल ने वर्ष 2020–21 में, 710 मि.ट. कोयला उत्पादन लक्ष्य की परिकल्पना की है। वर्ष 2018–19 के दौरान समूहवार उत्पादन और वर्ष 2019–20 की वार्षिक योजना लक्ष्य तथा 2020–21 के अनुमान नीचे दिए गए हैं:–

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2018–19		जनवरी '19 से मार्च'19	2019–20	अप्रैल '19 से नवम्बर '19	2020–21
	ब.अ.	वास्तविक	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक (अनंतिम)	वास्तविक
मौजूदा और पूर्ण	291.98	292.88	92.92	296.76	159.67	तैयार की जा रही है
चल रही परियोजनाएं	312.48	309.06	99.69	359.29	168.29	
भावी परियोजनाएं	-	-	-	-	-	
गारे पाल्मा ब्लॉक	5.54	4.95	1.83	3.95	2.43	
योग:	610.00	606.89	194.44	660.00	330.39	710.00

सीसीएल में नार्थ करनपुरा, एसईसीएल की कोरबा तथा एमसीएल में आईबी तथा तालचर कोलफील्ड से उत्पादन में व्यापक वृद्धि की परिकल्पना है।

परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्ष 2019 के दौरान, सीआईएल में 11 खनन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 01 खनन परियोजना पूरी की जा चुकी हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, 20 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक की लागत वाली 121 चल रही कोयला परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं पूर्णता महत्वपूर्ण बाहरी कारणों पर निर्भर करती है जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, ग्रीन अनापत्ति, निकासी अवसंरचना आदि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो, सीआईएल ने विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :–

(क) झारखण्ड, ओडीशा, छत्तीसगढ़, मध्य–प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि अधिप्रमाणिकता में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत किए जा रहे हें। इसके अलावा कंपनी द्वारा भूमि स्वामियों को अधिग्रहित भूमि हस्तांतरित करने एवं मुआवजा स्वीकार करने हेतु लगातार मनाया जा रहा है।

(ख) एफसी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ सतत् समन्वय एवं तालमेल।

(ग) कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों के साथ सभी स्तरों पर लगातार बातचीत की जाती है।

(घ) सहायक कंपनी तथा सीआईएल स्तर पर विलंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय तिमाही आधार पर 500 करोड़ से अधिक तथा 3 मि.ट. वाई की क्षमता वाली परियोजनाओं की समीक्षा करता है।

(ङ) परियोजना निगरानी समूह नियमित अंतराल पर राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। कोयला मंत्रालय अपनी ओर से वन अनापत्ति एवं भूमि के वास्तविक कब्जा हेतु अन्य मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कार्रवाई करता है ।

(च) प्रभावित परियोजनाओं के साथ जुड़ी निकासी समस्याओं के मुद्दों का समाधान करने हेतु सीआईएल सड़क अवसंरचना सहित रेलवे एवं संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं में लगभग 34,750 करोड़ रूपये का निवेश कर रही है।

प्रभावी निगरानी एवं त्वरित और सर्वविदित निर्णय लेने हेतु सीआईएल ने एमडीएमएस पोर्टल तैयार किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक परियोजना/खान का विवरण एकत्र करना, निष्पादन का विश्लेषण करना एवं संगत रिपोर्टें तैयार करना है इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने राज्य स्तर तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के पास लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए ई–सीपीएमपी (ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल) पहले ही स्थापित कर लिया है।

कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं एवं ओसी पैचेज शुरू कर दी है। इसके अलावा मौजूदा खानों/परियोजनाओं की क्षमता विस्तार ईसी विस्तार अथवा ईपीआर, जहां संभव हो के माध्यम से करना शुरू की जा रही है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

वर्ष 2018–19 में सीआईएल की चल रही परियोजनाओं से अंशदान 309.06 मिलियन टन था। वर्ष 2019–20 के दौरान सीआईएल ने 50.2 मि.ट. की वृद्धि सहित उसी समूह से 359.29 मि.ट. उत्पादन की परिकल्पना की है।

सीआईएल के संबंध में मुख्यतः तीन सहायक कंपनियों अर्थात एसईसीएल, एमसीएल, और सीसीएल से मौजूदा 121 चल रही परियोजनाओं (30.11.2019) से उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- अत्याधुनिक मशीनीकरण जहां संभव हो के साथ उच्च क्षमता वाली खानों की योजना बनाई और निष्पादित की रही है।
- भौगोलिक खनन स्थितियों पर निर्भर करते हुए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों ही प्रकार की ओपन कास्ट खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- क्षमता संबंधी उपयोग को बेहतर बनाया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- ईपी अधिनियम, 2006 के तहत विशेष प्रयासों से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- मंत्रालयों एवं राज्य सरकार से संबंधित परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों की प्रभावी निगरानी एवं बातचीत
- भविष्य में उत्पादन एवं निकासी में नियोजित वृद्धि बनाए रखने के लिए सीआईएल ने एसईसीएल, एमसीएल तथा सीसीएल में डिपॉजिट आधार पर (3) तथा जे.वी.(4) आधार 07 प्रमुख रेल अवसंरचना परियोनाएं शुरू की हैं जिनका निष्पादन भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी एवं सतत सहायता।
- उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु सीआईएल की सहायक कंपनियों को अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन।

सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण :

भूमिगत खान मशीनीकरण:

'भूमिगत कोयला खनन समस्याओं, संभाव्यता, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, उत्पादन एवं सुरक्षा संबंधी अध्ययन' के लिए आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), एससीसीएल एवं पीडब्ल्यूसी का परिसंघ नियुक्त किया गया है जिसने सीआईएल की 90 भूमिगत खानों का अध्ययन किया है। अध्ययन की सिफारिशों में भूमिगत कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु पीएसएलडब्ल्यू जैसी व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा सतत खनिकों के प्रयोग पर बल दिया गया है।

रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने हेतु लघु खानों को एकत्र करने के लिए संभावित खानों की पहचान, बन्द पड़ी खानों को पुनर्जीवित करने, ग्लोबल प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग, भूमिगत खनन मशीनरी का स्वदेशी निर्माण तथा सीआईएल की भूमिगत खानों में उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार करने हेतु और अधिक अनुसंधान एवं विकास करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सिफारिशों के परिणामस्वरूप सीआईएल ने आगामी पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2023–24 से पहले 19 खानों में 26 सीएम तथा 02 खानों में 2 पीएसएलडब्ल्यू लागू करने की योजना बनाई है जिसके लिए पीआर का अनुमोदन कर दिया गया है अथवा प्रक्रियाधीन है।

ओपन कास्ट खान मशीनीकरण:

ब्कार्यक्षमता में सुधार करने हेतु सीआईएल ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। गेवरा विस्तार, दिप्का एवं कुष्मुण डा ओपन कास्ट खानों में 240 टी रियर डंपर सहित 42 घन मीटर शावल जैसी उच्च क्षमता की एचईएमएम शामिल की गई हैं।

ओपन कास्ट खानों में व्यापक स्तर पर सतही खानों की तैनाती की गई है ताकि प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार, ग्राहकों की संतुष्टि एवं पर्यावरणीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग 50% कोयला उत्पादन सतही खनिकों के द्वारा किया गया था।

प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार करने हेतु सीआईएल की खानों में ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच प्रणाली (ओआईटीडीएस) तथा इन–पिट क्रशिंग एण्ड कन्वेइंग/इन–पिट कन्वेंइंग प्रणाली लागू की गई है। जीपीएस आधारित वाहन निगरानी, बूम बेरियर सहित आरएफआईडी निगरानी प्रणाली शुरू की गई है ताकि वाहनों के आवागमन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके जिससे उठाईगिरी के विरूद्ध सुधारात्मक उपाय किए जा सकेंगे।

तीव्र कोयला निकासी के लिए सीआईएल की खानों में आरएलएस/सीलो सतत रूप से जोड़े जा रहे हैं। सीआईएल ने अपनी पंचवर्षीय विज़न योजना में 4 एमटीवाई से अधिक क्षमता वाली मेगा परियोजनाओं के लिए 415 एमटीवाई क्षमता की 35 फर्स्ट

माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की पहचान की है।

सर्वेक्षण/जांच माप हेतु सीआईएल ने 3डी ट्रेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर (टीएलएस) जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

सीआईएल इंटरप्राइस रिसॉर्स प्लानिंग (ईआरपी) तथा अन्य आईटी समर्थित प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है ताकि अपने मानव, वास्तविक एवं वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कर सके जिससे सीआईएल की प्रचालन क्षमता में व्यापक वृद्धि होगी एवं घाटों को कम करने में सहायता मिलेगी।

एससीसीएल

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी–100 दिन का कार्यक्रमः कोयला मंत्रालय ने कोयला उद्योग के लिए 100 दिन की योजना तैयार की है जिसमें आयात कम करने, आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने तथा पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है जिसमें पीएमओ के निर्देशानुसार सरल जीवन भी शामिल होगा। कोयला उत्पादन यूनिटों से प्रेषण यूनिटों तक 100% मशीनीकृत लदान हासिल करना प्रमुख ध्यान देने वाला क्षेत्र है। एमओसी ने अगले 5 वर्षों में 4 एमटीवाई से अधिक उत्पादन करने हेतु वृहद परियोजनाओं पर फोकस करने का निर्देश दिया है।

एससीसीएल ने अगले 5 वर्षों में 85 मि.ट. तक उत्पादन करने तथा सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई को कम करते हुए रेल के माध्यम से लक्षित प्रेषण हासिल करने की परिकल्पना की है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत 3 नये सीएचपी के निर्माण का प्रस्ताव है। कार्यों की स्थिति नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	परियोजनाओं की संख्या
1	बोर्ड अनुमोदन	3
2	एनआईटी अनुमोदन	2
3	निविदा जारी की गई	2
4	निविदा दी गई	2
5	भूमि अनापत्ति	2
6	निर्माण शुरू	2
7	50% से अधिक निर्माण पूरा	1
8	ट्रायल रन शुरू	1
9	स्थापित किए गए	शून्य*
10	पूरे किए गए फारवर्ड/बैकवर्ड लिंक	1

*एसआरपीओसीसीएचपी के सभी कार्य पूरे तथा रेलवे के अनुमोदन की प्रतीक्षा।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/आबंटन रद्द की गई कोयला खानों का आबंटन

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गईं 204 कोयला खानों का आबंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन किया जाता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक 99 कोयला खानों का सफलतापूर्वक आबंटन किया गया है। इन 99 कोयला खानों में से 29 कोयला खानों का आबंटन ई–नीलामी के जरिए (निजी कंपनियों को 28 तथा सरकारी कंपनी को 01) किया गया है और 70 कोयला खानों का आबंटन सरकारी कंपनियों को किया गया है।

इन 99 कोयला खानों का क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है– नियंत्रित क्षेत्र अर्थात् विद्युत को 51 कोयला खानें, नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात् लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव विद्युत को 27 कोयला खानें तथा कोयले की बिक्री हेतु 21 कोयला खानें।

क्र. सं.	विवरण	नीलामी	आवंटन	कुल
1	विद्युत	6	45	51
2	एनआरएस	23	4	27
3	कोयले की बिक्री	-	21	21
	कुल	29	70	99

आवंटित 99 कोयला खानों का चित्र नीचे दिया गया है:

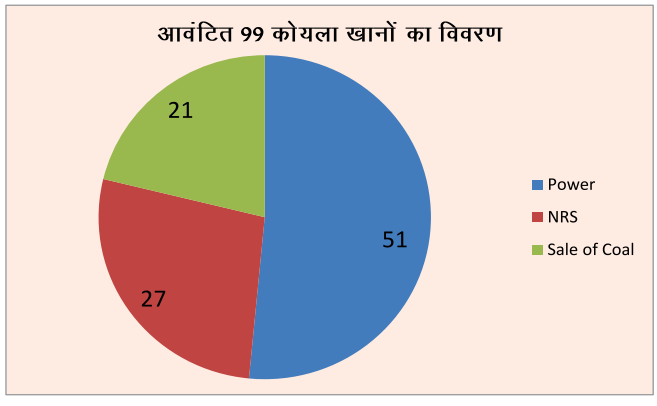

(ii) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 के उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 15 कोयला खानों का आवंटन किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	नीलामी	आवंटन	कुल
1	विद्युत	-	4	4
2	एनआरएस	5	1	6
3	कोयले की बिक्री	-	5	5
	कुल	5	10	15

(iii) सीसीईए ने दिनांक 19.02.2019 को हुई अपनी बैठक में विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं की खपत के लिए तथा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान सहित खुले बाजार में (आरओएम आधार) वास्तविक उत्पादन का 25% विक्रय करने हेतु कोयला खानों के आबंटितियों को अनुमति देने के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है तथा इस संबंध में आदेश 07.3.2019 को जारी कर दिया गया है। अभी तक उपरोक्त प्रस्तावों को शामिल करते हुए 10 खानों की नीलामी की गई है।

(iv) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के उपबंधों के अंतर्गत खनन पट्टा प्रदान करने/क्षेत्रीय सीमा में छूट प्रदान करने हेतु 06 कोयला खानों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन दिया गया है।

नीलामी की गई कोयला खानें : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत नीलाम की गई 15 अनुसूची II कोयला खानों (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थी) में से 13 कोयला खानों में खान प्रचालन प्रारंभ हो चुका है/ प्रचालन की अनुमति दे दी गई है। शेष अनुसूची II कोयला खानों को प्रचालन हेतु विभिन्न अनापत्तियों की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, 10 अनुसूची III कोयला खानों में से 1 कोयला खान को खनन करने की अनुमति दे दी गई है। शेष अनुसूची III कोयला खानों का प्रचालन जून, 2018 से होना निर्धारित है क्योंकि वे आबंटन के समय प्रचालन में नहीं थी।

कोयला खानों का आबंटन : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू/ जेनको) को आबंटित 18 अनुसूची II कोयला खानों (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थी) में से आज की स्थिति के अनुसार 5 कोयला खानें प्रचालन में हैं/खान प्रचालन शुरू हो गया है। शेष अनुसूची II कोयला खानों को प्रचालन हेतु विभिन्न अनापत्तियों/निर्णयों की प्रतीक्षा है। 42 कोयला खानों (24 अनुसूची III+18 अनुसूची I) में से 8 कोयला खानों को खान प्रचालन की अनुमति मिल गई है। अनुसूची III तथा I कोयला खानों का प्रचालन 2018 से होना निर्धारित है क्योंकि वे आबंटन के समय प्रचालन में नहीं थी।

मार्च, 2019 तक सृजित कुल राजस्व 6795.60 करोड़ रु. (रायल्टी कर, उपकर आदि को छोड़ कर) है।

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत खान आवंटन के समय मार्च, 2019 तक कुल उत्पादित कोयला 68.14 मि.ट. है जिसमें से वर्ष 2018–19 के दौरान 24.82 मिलियन टन का उत्पादन है।

एमएमडीआर अधिनियम के अधीन कोयला/लिग्नाईट ब्लॉकों का आबंटन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सरकारी कंपनियों (केंद्रीय/राज्य) को 11 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। उपर्युक्त 11 कोयला ब्लॉकों में से अन्त्य उपयोग हेतु 9 तथा वाणिज्यिक खनन हेतु 2 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। 11 कोयला ब्लॉकों के मामले में कोयला ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार (सीबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। इसके अलावा 100 मि.ट. से अधिक की क्षमता वाली कंपनियां तैयार करने हेतु सीआईएल/इसकी सहायक कंपनियों को 06 कोयला ब्लॉक आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गुजरात राज्य पीएसयू (अन्त्य उपयोग हेतु 1 तथा लिग्नाइट के वाणिज्यिक खनन/ विक्रय हेतु 2) को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत 3 लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन भी किया गया है। 02 लिग्नाइट ब्लॉकों के संबंध में लिग्नाइट ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार (एलबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कोयला ब्लॉक आबंटन नियमावली 2017 के नियम 3(2) के अंतर्गत अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 137 अतिरिक्त गैर सीआईएल ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिसमें से कुल 89 कोयला ब्लॉक (सीआईएल के लिए पहचान की गई 08 कोयला ब्लॉकों सहित) वर्तमान में आबंटन हेतु उपलब्ध है। यह मंत्रालय एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अंतर्गत इन 89 कोयला ब्लॉकों के आबंटन पर विचार कर रहा है । कोयले की बिक्री हेतु नीलामी के लिए 12 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

गुणवत्ता और थर्ड पार्टी सैंपलिंग– हाल के निर्णय

कोयला गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत कंपनियों) के सरोकारों का समाधान करने के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई थी। लदान केंद्रों पर कोयले की सैंपलिंग एवं परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियां), क्रेता (विद्युत कंपनियों) तथा सीआईएमएफआर के बीच त्रि–पक्षीय समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सैंपलिंग एवं कोयला परीक्षण प्रभार समान रूप से वहन किया जाना है।

लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने वाले गैर–विद्युत उपभोक्ताओं तथा विद्युत हेतु विशेष फारवर्ड नीलामी के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को आपूर्ति हेतु सैंपलिंग सुविधा प्रदान करने के लिए क्यूसीआई तथा आईआईटी–आईएसएम को नियुक्त किया गया है। क्यूसीआई तथा आईएसएम दोनों ने सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग कवर करने हेतु कोयला कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(I) गैर–विद्युत एफएसए।

(II) एसएनए को कोयला आपूर्ति।

(III) स्पॉट ई–नीलामी।

(IV) विशेष स्पॉट नीलामी।

(V) विशिष्ट ई–नीलामी।

अब सभी ई–नीलामी स्कीमों तथा एफएसए के अंतर्गत कोयले के आपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं को थर्ड पार्टी गुणवत्ता वैधता उपलब्ध है। यह निर्देश दिया गया है कि विद्युत उपयोगिताएं तथा कोयला कंपनियां गत महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के सभी परिणामों के लिए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक (अथवा अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन) ग्रेड निर्धारण करेगी।

कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्रेड स्लीपेज नियंत्रण करने तथा नामित रेफरी लेबोरेट्रीज द्वारा रेफरी सैंपल के परिणाम घोषित करने हेतु 15 दिन की समय–सीमा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड ने सीआईएमएफआर, तथा क्यू सी आई को क्रमशः 529 मि.ट., 66.00मि.ट. का नमूना लेने का कार्य सौंपा है तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने सीआईएमएफआर तथा आईआईसीटी को क्रमशः 48.00 मि.ट. और 0.67 मि.ट. का नमूना लेने का कार्य सौंपा है।

यूटीटीएएम (खनित कोयले के थर्ड पार्टी आकलन के द्वारा पारदर्शिता) नामक एक ऐप शुरू किया गया है जिसके माध्यम से सभी उपभोक्ता/स्टेकधारी तथा कोयला कंपनियां घोषित ग्रेड, थर्ड पार्टी सैंपल विश्लेषण परिणाम एवं रेफरी विश्लेषण परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

कोयला लिंकेजों का युक्तिकरणः

कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राज्य/केन्द्रीय पीएसयू के विद्युत संयंत्रों के लिए लिंकेज युक्तिकरण हेतु नीति जारी की है। विद्युत क्षेत्र (राज्य/केन्द्रीय पीएसयू) में कोयला लिंकेज के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खान से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी हुई है तथा कोयला आधारित विद्युत का और अधिक प्रभावी उत्पादन हुआ है। अभी तक राज्य/केन्द्रीय पीएसयूज के विद्युत संयंत्रों के लिए 61.08 मि.ट. का समग्र यातायात युक्तिकरण हुआ है तथा 3651 करोड़ रूपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है।

कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2018 में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईटीपी) के लिए लिंकेज युक्तिकरण हेतु नीति जारी की है। दो आईपीपी का लिंकेज युक्तिकरण किया गया है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार अन्त्य उपभोक्ता द्वारा विद्युत लागत में लगभग 118 करोड़ रूपये की अनुमानित बचत होगी।

गैर–विनियमित क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकेजों की नीलामी :

दिनांक 15.02.2016 को कोयला मंत्रालय द्वारा गैर–विनियमित क्षेत्रों को कोयला लिंकेजों के आवंटन हेतु जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसरण में सीआईएल सीमेंट, स्पांज आयरन, सीपीपी, अन्य (गैर कोकिंग), अन्य (कोकिंग) तथा इस्पात (कोकिंग) उपक्षेत्रक को कोयले के आवंटन हेतु लिंकेज की नीलामी करती रही है।

वर्तमान में सीआईएल ने अभी तक लिंकेज की नीलामी चार दौर में पूरी की है जहां सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 80.5 एमटीपीए कोयला लिंकेज गैर विद्युत अधिसूचित मूल्य के लगभग 20% औसत प्रीमियम के साथ बुक किए गए हैं।

पांचवा दौर चल रहा है जहां इस्पात (कोकिंग) तथा स्पांज आयरन उप–क्षेत्र के लिए लिकेंज नीलामी पूरी कर ली गई है। इस्पात (कोकिंग) उप–क्षेत्र के अंतर्गत 1.3 एमटीपीए कोकिंग कोयला लिकेंज बिना किसी प्रीमियम के बुक किया गया था। स्पांज आयरन उप–क्षेत्र के लिए लिकेंज नीलामी में सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 19% औसत प्रीमियम सहित 4.19 एमटीपीए कोयला लिकेंज बुक किया गया था।

शक्ति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेजों की नीलामी

दिनांक 22.05.2017 को कोयला मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी तरीके से भावी कोयला लिंकेजों के आबंटन हेतु एक नई नीति बनाई है। इस नीति का नाम 'भारत

में पारदर्शी तरीके से कोयला प्राप्त करने एवं आबंटन हेतु की योजना' (शक्ति) है। सीसीईए, के अनुमोदन के पश्चात्, शक्ति नीति 2017 में संशोधन किया गया है तथा इसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.3.2019 को जारी किया गया है। इस नीति से कई प्रबलित परिसंपत्तियों के समाधान में सकारात्मक योगदान मिलेगा। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

क. एलओए–एफएसए की पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत–

(i) यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि संयंत्र 31.3.2022 तक स्थापित हो जाएंगे, लंबित एलओए धारकों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किया जा सकता है।

(ii) एलओए हेतु 583 लंबित आवेदन बंद कर दिए जाएं।

(iii) सीसीईए के दिनांक 21.6.2013 के निर्णय के अनुसार कुल 68000 मे.वा. क्षमता के संयंत्रों को 31.3.2017 के पश्चात् भी एसीक्यू का 75% कोयला प्राप्त होना जारी रहेगा।

(iv) 68000 मे.वा. में से 19000 मे.वा. क्षमता के संयंत्र जो 31.3. 2015 तक स्थापित नहीं हो पाए थे, को एसीक्यू के 75% की दर से एफएसए के अंतर्गत कोयला आपूर्ति की अनुमति होगी बशर्ते कि ये संयंत्र 31.3.2022 तक स्थापित हो जाएं।

(v) विद्युत संयंत्रों को वास्तविक कोयला आपूर्ति दीर्घकालिक पीपीए पर होगी तथा मध्यकालिक पीपीए भविष्य में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी बोली दिशा–निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित बोलियों के आधार पर संपन्न किए जाएंगे।

इसके साथ ही एलओए–एफएसए की पुरानी व्यवस्था अंतिम रूप में आ जाएगी तथा समाप्त हो जाएगी।

ख. विद्युत क्षेत्र के लिए नई अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति 2017–शक्ति (भारत में पारदर्शी रुप से कोयले प्राप्त करने और आबंटन करने की योजना) के अंतर्गत निम्नलिखित पर विचार किया गया है:–

(i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय उत्पादक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती हैं।

(ii) घरेलू कोयला आधारित पीपीए वाले आईपीपी को लिंकेजेज परन्तु कोई लिंकेजः

(क) नीलामी आधार पर नहीं जहां बोलीदाता टैरिफ पर छूट उद्धृत करेगा।

(ख) बोली मूल्यांकन मानदंड छूट का नान–जीरो लेवल वैल्यू होगा।

(iii) बगैर पीपीए वाले आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को नीलामी के आधार पर लिंकेज दिया जाएगा जहां इसकी पद्धति गैर–विनियमित सेक्टर के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत अपनाई जा रही पद्धति के समान होगी अर्थात् बोलीदाता कोयला कंपनी के अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम की बोली लगाएगा।

(iv) राज्यों के लिए विवरण के साथ कोयला लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोयला लिंकेज भी निर्धारित किए जाएंगे। राज्य ये लिंकेज डिस्कॉम्स/एसडीए को निर्दिष्ट करेंगे।

(v) राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को एकत्र किया जा सकता है और ऐसी एकत्र विद्युत की खरीद विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अथवा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्य द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा की जा सकती है।

(vi) विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) को पूर्ण नियामक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा जिसमें विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा–निर्देशों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से केंद्र सरकार के पहल के तहत अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा लिंकेज भी शामिल किया जाएगा।

(vii) लागत में बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए आयातित कोयले पर आधारित पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आबंटित करने के लिए कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के परामर्श से एक विस्तृत पारदर्शी बोली प्रक्रिया की पद्धति तैयार करेगा।

(viii) (क) निजी उत्पादकों सहित विद्युत संयंत्रों जिनके पास शक्ति नीति के ख(iii) तथा ख(iv) के अंतर्गत पीपीए नहीं है, को अल्पकालिक कोयला लिंकेज।

(ख) डिस्काम्स द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पीपीए समाप्त करने वाले उत्पादक को विद्युत विनिमय हेतु अल्पकालिक पीपीए के माध्यम से विद्युत ब्रिकी हेतु मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग करने की अनुमति होगी।

(ग) बिना किसी आग्रह के राज्य समूहों के लिए पैरा ख (v) के अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा विद्युत एकीकरण।

(घ) प्रबलित विद्युत परिसम्पतियों के मामले में पीएसयू विद्युत एकीकरण के रूप में कार्य करेगा तथा इसे पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करेगा और उस विद्युत को मौजूदा पीपीए के अनुसार डिस्काम्स को प्रस्तावित करेगा।

(ङ) जहां ख (viii) (क)(ख)(ग) तथा (घ) के प्रावधानों का उपयोग किया गया है, ऐसे मामलों में प्रचालनात्मक व्यय को पूरा करने के पश्चात् प्राप्त निवल राशि का उपयोग सर्वप्रथम पूर्णतः ऋण उतारने हेतु किया जाएगा।

शक्ति कार्यान्वयन की स्थितिः

- क (i): 6550 मे.वा. की कुल क्षमता सहित 10 विद्युत संयंत्रों के लिए हस्ताक्षर करने हेतु अनापत्ति दे दी गई है।
- ख (i): कुल 25340 मे.वा. क्षमता के लिए 23 थर्मल विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।
- ख (ii): शक्ति नीति के ख (ii) के अंतर्गत प्रथम दौर की लिंकेज नीलामी सितम्बर, 2017 में कराई गई थी जिसमें 10 सफल बोली दाताओं द्वारा लगभग 9045 मे.वा. क्षमता के लिए 27.18 मिलियन टन का वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। दूसरे दौर की ख(ii) नीलामी सीआईएल द्वारा 24.05.2019 को करायी गई थी। इस दूसरे दौर में 08 बोलीदाताओं द्वारा लगभग 874.9 मे.वा. क्षमता के लिए 2.97 मि.ट. का वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। अंतर्मत्रालयी समिति (आईएमसी) बैठकों की सिफारिश के आधार पर विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को पैरा ख(ii) के अंतर्गत भावी नीलामी कराने का निर्देश दिया गया है।
- ख (iii): सीआईएल भी कोयला मंत्रालय द्वारा जारी शक्ति नीति दिनांक 22.5.2017 के पैरा ख (iii): के अंतर्गत तथा दिनांक 25.3.2019 को जारी शक्ति नीति संशोधन के पैरा ख (viii) (क) के अंतर्गत कोयला लिंकेज नीलामी की प्रक्रिया में है।
- ख (iv): सीआर्इएल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्रमशः 4000 मे.वा., 1600 मे.वा. तथा 2640 मे.वा. क्षमता के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है।
- ख (v): सीआईएल से 2500 मे.वा. क्षमता के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है।

ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्र तथा राज्यों के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत तथा गैर–विद्युत दोनों क्षेत्रों में) के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं जिन्हें कोयला खान/ब्लाक आबंटित किये गए हैं। 'ब्रिज लिंकेज' केंद्र तथा राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग वाले संयंत्रों की कोयला आवश्यकता तथा एमएमडीआर अधिनियम के अधीन आबंटित अनुसूची– ।।। कोयला खानों से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बीच अंतर को पाटने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा। वर्ष 2019–20 में (31 दिसम्बर तक) 03 थर्मल विद्युत संयंत्रों अर्थात् एन्नोर एस ई जेड (पहली यूनिट 660 मे.वा.), घाटमपुर टीपीपी (3×660 मे.वा.) तथा बरौनी टीपीएस (2×250 मे.वा.) को ब्रिज लिंकेज प्रदान किए गए हैं तथा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मेजिया टीपीएस (यूनिट 7 और 8) तथा चन्द्रपुरा टीपीएस (यूनिट 8) जैसे दो थर्मल विद्युत संयंत्रों को भी ब्रिज लिंकेज दिया गया था।

कोयले की धुलाई पर बलः

सीआईएल की वर्तमान में 16 वाशरियां हैं, तथा 12 कोकिंग कोयला तथा 4 नॉन–कोकिंग सहित कुल 38.40 एमटीवाई क्षमता का प्रचालन कर रही है जिसमें से 22.18 मि.ट.वाई कोकिंग कोयला तथा 16.22 मि.ट. नॉन–कोकिंग कोयला है। तथापि, एक कोकिंग कोयला वॉशरी जिसे 2018 में चालू किया गया था, को छोड़कर अधिकांश वॉशरियां पुरानी हैं तथा अपने निर्धारित कार्यकाल से अधिक हो चुकी हैं जिससे क्षमता में कमी हुई है।

इसके अलावा, कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के प्रयास में धुले हुए कोकिंग कोयले की मात्रा में वृद्धि करने के लिए 17 एमटीवाई की कुल क्षमता सहित 05 प्रस्तावित कोकिंग कोल वॉशरियां भी स्थापित की जा रही हैं तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, 500 कि.मी. से दूर स्थित थर्मल विद्युत संयंत्रों को 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति हेतु पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सीआईएल ने 59.0 मि.ट.वाई की कुल क्षमता वाली 07 नई नॉन–कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना हेतु योजना बनाई है। 07 में से एक अर्थात् एमसीएल में 10 एमटीवाई क्षमता सहित आईवी वैली निर्माणाधीन है तथा अन्य 03 के लिए एलओआई जारी किए जा चुके हैं।

नीति आयोग को पीएमओ से निर्देश दिया गया है कि नॉन कोकिंग कोयला के लिए कोयला वॉशरियों का पर्यावरणीय एवं आर्थिक प्रभाव का विभिन्न स्टेकधारियों एवं विशेषज्ञों के परामर्श से दो महीनों के व्यापक अध्ययन भीतर कराए। अध्ययन में वॉशरियों के रिजेक्ट्स से संबंधित मुद्दों एवं अन्य सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया था कि अन्य नई नॉन कोकिंग कोयला वाशरी स्थापित करने संबंधी किसी भी निर्णय से पूर्व कोयला मंत्रालय इस अध्ययन के पूरा हो जाने की प्रतीक्षा करेगा।

उपरोक्त के अलावा सीआईएल स्वच्छ कोकिंग कोयला उत्पादन में तेजी लाने हेतु अपनी मौजूदा कोकिंग कोल वॉशरियों का नवीकरण हेतु कदम उठा रही है।

कोकिंग कोयले का पुनः वर्गीकरणः कोयला मंत्रालय द्वारा कोकिंग कोल ग्रेड की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने तथा कोकिंग कोयले के पुनः वर्गीकरण हेतु दिनांक 16.4.2018 के का. ज्ञा. संख्या सीआरसी 1–43016/1/2017–सीआरसी के तहत एक तकनीकी समिति का गठन किया था। समिति ने 35% राख तक कोकिंग कोयले के मौजूदा ग्रेडिंग प्रणाली जारी रखने तथा वॉशरी ग्रेड ट (35% से अधिक तथा 42% तक राख) एवं VI (42% से अधिक तथा 49% तक राख) जैसे दो नये ग्रेडों को जोड़ने का प्रस्ताव किया था जिससे अवर्गीकृत निम्न वोलाटाइल मीडियम कोकिंग (राख>35%) को शामिल किया जा सके। दिनांक 24.1.2019 के राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 17 के माध्यम से कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनः वर्गीकरण को सहमति दी गई थी। इन दो नये ग्रेडों के जुड़ने से सीआईएल की सहायक कंपनियों विशेष रूप से बीसीसीएल और सीसीएल को उच्च विक्रय मूल्य वाले कोकिंग कोयले की बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी क्योंकि कोकिंग कोयले के आयात में कमी आएगी।

आग, धंसाव तथा पुनर्वास क्षेत्रों के समाधान के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.8.2009 को आग, धंसाव एवं जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास से संबंधित मास्टर योजना का अनुमोदन किया गया था।

अनुमोदित मास्टर योजना के अनुसार झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय–सीमा 12 वर्ष है जिसमें कार्यान्वयन पूर्व कार्यकलापों के लिए दो वर्ष है तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए 10 वर्ष है। जेसीएफ के लिए मास्टर योजना कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने वाली है तथा आरसीएफ के लिए यह समाप्त हो चुकी है।

19वें एचपीसीसी निर्देशों के अनुसार, ईसीएल द्वारा वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय एवं लागत सहित आरसीएफ के लिए एक व्यापक संशोधित मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है। जेसीएफ के लिए व्यापक संशोधित मसौदा प्रस्ताव बीसीसीएल द्वारा तैयार की जा रही है।

भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

धारणीय विकास के लिए खनिक क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। समुचित पुनरूद्धार पर बल दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी तथा जैविक पुनरूद्धार तथा माइन क्लोजर दोनों शामिल है। भूमि पुनरूद्धार हेतु सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है ताकि खनित भूमि पुनरूद्धार की स्थिति की प्रगति का आकलन किया जा सके तथा पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निदानात्मक उपाय, यदि कोई हो, किया जा सके।

सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर भूमि पुनरूद्धार निगरानी दो श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली खानों के लिए की जा रही है (क) 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली खानें तथा (ख) 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) एमसीएम प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है जबकि 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से कम के अंतर्गत आने वाली खानों की निगरानी 03 वर्ष के अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से की जाती है।

वर्ष 2019–20 में, सी आई एल की कुल 87 खानों/कलस्टरों का चयन सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर निगरानी के लिए किया गया था। जिसमें से 52 ओसी खानें 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक की श्रेणी वाली हैं तथा 35 खानें/क्लस्टर्स 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष से कम की श्रेणी में आती हैं। बीसीसीएल तथा ईसीएल प्रत्येक से 04–04 कलस्टरों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कलस्टरवार भूमि पुनरूद्धार निगरानी की गई है। सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर वर्ष 201–20 में निगरानी की गई परियोजनाओं निकासी क्षेत्र, जैविक एवं तकनीकी पुनरूद्धार सृजित हरित क्षेत्र के कंपनीवार ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:–

सैटेलाइट आंकड़ों के आधार पर 87 ओसी खानों/क्लस्टरों में भूमि पुनरूद्धार निगरानी की स्थिति (वर्ष 2019–20 के लिए)

(क्षेत्र हेक्टे. में)

क्र. सं.	कंपनी	खान क्लसटरों की संख्या	कुल लीज होल्ड	खनिज क्षेत्र	सक्रिय खनन क्षेत्र	पुनरूद्धार		ओबी डम्प पर पौधारोपण		कुल सृजित हरित क्षेत्र	पुनरूद्धार के अंतर्गत कुल क्षेत्र
						तकनीकी	जैविक	विस्तार ओबी डम्प	सामाजिक वानिकी		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(=k7+8+9)	11(=k6+7)
1	डब्ल्यूसीएल	21	174.35	38.48	22.20	12.41	3.87	16.84	11.26	31.97	16.28
2	एसईसीएल	14	180.28	76.48	20.14	29.55	26.80	11.03	9.00	46.83	56.34
3	एनसीएल	10	174.28	73.84	27.18	31.88	14.78	10.99	26.14	51.91	46.66
4	एमसीएल	14	156.43	47.91	16.91	22.74	8.26	3.18	3.41	14.85	31.00
5	सीसीएल	16	107.11	27.60	8.81	11.63	7.16	7.33	6.84	21.33	18.79
6	बीसीसीएल	6	81.51	15.87	3.84	10.06	1.97	1.06	4.00	7.03	12.03
7	ईसीएल	6	351.36	28.23	9.01	15.24	3.98	1.33	14.26	19.57	19.22
कुल सीआईएल		**87**	**1225.33**	**308.41**	**108.08**	**133.51**	**66.82**	**51.78**	**74.89**	**193.49**	**200.33**

नोटः 1. उपरोक्त संकलित डाटा वर्ष 2019 के सैटेलाइट आंकड़ों के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पर आधारित है।
2. उपरोक्त तालिका में आंकड़ों को दशमलव दो अंकों तक रखा गया है।
3. उपरोक्त तालिका में आंकड़े अनन्तिम हैं।

नई पहलें:

- सीएमपीडीआई में एक नवपरिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन श्री ए. के. जैन, सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा 30 अक्तूबर, 2019 को किया गया था।
- सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के प्रयोग के लिए ऑन–लाइन कोयला ब्लॉक सूचना प्रणाली (ओसीबीआईएस) विकसित की है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसे प्रस्तुतीकरण हेतु गुगल मैप पर डाला गया है। ओसीबीआईएस में कोयला ब्लॉकों के लेयर, कोलफील्ड्स एवं सीबीएम के संबंध में सूचना शामिल है।
- सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के लिए खान डाटा प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस) पोर्टल विकसित की गई थी जिसमें सीआईएल द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। पोर्टल की मुख्य विशेषता कोयला परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी करना है जिसमें पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी), वन अनापत्ति (एफ सी), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरआर), वित्तीय मापदंड, एचईएमएम हासिल करना, उत्पादन एवं कोयला रख–रखाव संयंत्र (सीएचपी), सीलो एवं रेलवे साइडिंग्स जैसी अन्य प्रमुख अवसंरचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय मापदंड की भी निगरानी की जा रही है। इस पोर्टल के कार्यान्वयन से निगरानी एजेंसियां एकल स्रोत से सूचना प्राप्त करने के माध्यम से लाभ उठा रहीं है।
- सीएमपीडीआई ने एमएस प्रोजेक्ट सर्वर स्थापित की है। सभी सहायक कंपनियां इस सर्वर पर परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में सूचना अद्यतन करती रहती है तथा सीआईएल तथा कोयला मंत्रालय परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर पाती हैं।
- सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के लिए कोल–डैशबोर्ड विकसित की है जिसमें लगभग 35/75 सुपर परियोजनाओं के संबंध में अन्वेषण, उत्पादन संबंधी आंकड़े, ऑफटेक, एसएण्डटी व्यय, क्रिटिकल एवं सुपर क्रिटिकल थर्मल संयंत्रों के संबंध में सीईए सूचना दी गई है।

उत्पादकता मानक की समीक्षा–

आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस)

वर्ष	कोल इंडिया लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2018–19 (वास्तविक)	0.95	14.68	8.51
2019–20 (वास्तविक)*	0.95	12.57	7.32
अप्रैल '19 – नवंबर '19			

* अनन्तिम

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार उपाय सीआईएल

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां लोक उद्यम विभाग के नवीनतम दिशा–निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के आधार पर सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न विकास कार्यकलाप कर रही हैं। सीआईएल की सीएसआर नीति के अधीन निधियों का आबंटन किया जाता है। जिसके अंतर्गत विगत तीन वित्त वर्ष के औसत निवल लाभ का 2 % अथवा गत वर्ष के कोयला उत्पादन का 2 रु.प्रति टन जो भी अधिक हो, के आधार पर आबंटित की जाती है।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर सांविधिक प्रावधान तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रू.में)

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सीआईएल एवं सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट एवं व्यय												
कंपनी	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (अनंतिम)		
	सांविधिक प्रावधान	कुल बजट	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	कुल बजट	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	कुल बजट	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	कुल बजट	उपयोग की गई
ईसीएल	29.19	29.19	21.62	20.89	28.46	12.69	0.32	16.09	16.46	17.86	17.86	5.29
बीसीसीएल	26.85	26.85	11.45	9.98	25.38	2.74	6.52	29.16	1.43	0.00	27.73	1.00
सीसीएल	55.90	55.90	30.29	54.88	80.49	37.90	45.78	88.37	41.14	42.71	89.94	6.07
डब्ल्यूसीएल	8.68	8.68	10.81	0.00	9.13	7.23	0.00	9.24	4.25	0.00	10.64	4.50
एसईसीएल	120.24	120.24	42.50	93.30	171.04	93.62	81.04	158.46	83.55	83.85	158.76	24.93
एमसीएल	113.36	113.36	166.60	122.85	122.85	267.52	136.36	136.36	167.16	156.50	156.50	70.70
एनसीएल	74.23	74.23	77.33	72.47	72.47	36.59	75.44	111.32	73.57	92.27	130.02	24.54
सीएमपीडीआईएल	0.78	1.20	1.02	0.80	1.50	1.18	1.53	1.85	1.58	3.00	3.27	0.76
सीआईएल (एनईसी)	13.52	127.34	128.05	7.88	110.83	24.31	6.99	199.99	27.33	8.08	294.04	57.00
कुल	**483.78**	**557.27**	**489.67**	**383.05**	**622.15**	**483.78**	**353.98**	**750.84**	**416.47**	**404.27**	**888.86**	**194.79**

दिनांक 10.12.2018 के डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार थिमैटिक कार्यक्रमों अर्थात् स्कूल शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल पर सीएसआर व्यय कुल सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2018–19 में थिमैटिक कार्यक्रमों पर संयुक्त रूप से 278.29 करोड़ रूपये खर्च किया है जो वर्ष के कुल सीएसआर व्यय का लगभग 67 प्रतिशत है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू किए गए प्रमुख सीएसआर कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

1. स्वास्थ्य देखभाल

क. सीआईएल द्वारा गोड्डा, झारखण्ड में 300 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण का अनुमोदन दिया गया है।

ख. एमसीएल द्वारा आंगुल, ओडिशा में 500 बिस्तर वाले अस्पताल तथा 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

2. स्वच्छता

क. स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रसार करने के लिए सीआईएल एवं सहायक कंपनियों द्वारा 16 से 30 जून, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा तथा अक्तूबर, 2019 में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया जिसके दौरान विभिन्न कार्यकलाप किए गए थे।

ख. स्वच्छता कार्य योजना के भाग के रूप में स्वच्छता अवसंरचना का सृजन, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं।

3. शिक्षा

क. सीसीएल तथा बीसीसीएल की लाल– लाडली स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं बोर्डिंग/लॉजिंग।

ख. सीआईएल द्वारा निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज, वाराणसी में लैब, पुस्तकालय, क्लास रूम एवं हॉस्टल सुविधाओं का निर्माण।

4. कौशल विकास

क. केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के विभिन्न केन्द्रों पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडों में 1659 व्यक्तियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 80 % से अधिक प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार मिल चुका है।

ख. सीआईएल की सहायक कंपनियों की विभिन्न कौशल विकास पहलों के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में लगभग 3500 व्यक्तियों प्रशिक्षित किया गया है।

5. आपदा प्रबंधन

- सीआईएल ने ओडिशा में मई, 2019 में फनी तूफान में ध्वस्त हुए बिजली लाइनों के पुनरूद्धार के लिए ओडिशा पॉवर टान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को 50.32 करोड़ रूपये की सहायता दी है।

6. दिव्यांगों का कल्याण

- सीआईएल द्वारा श्री गुरूदेव चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में 1250 लाभार्थियों को सहायता एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें एवं सुधार उपायः एससीसीएल

कंपनी ने सीएसआर नीति तैयार की है और सीएसआर कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत एससीसीएल आस–पास के गांव में स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता सुविधाएं, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण एवं स्लम एरिया विकास, पर्यावरणीय धारणीयता को बढ़ावा देती है। सीएसआर कार्यकलापों के लिए वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) 37.05 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें एवं सुधार उपाय एनएलसीआईएल

सीएसआर नीति के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड विभिन्न प्रकार के धारणीय विकास कार्यक्रम एवं कल्याण कार्यकलाप कर रही है। 01.4.2014 से लागू डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर के अंतर्गत निधियों का आवंटन किया जाता है। ये दिशा–निर्देश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) पर आधारित है जिसमें विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के निवल औसत लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना निर्धारित है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित एवं उपयोग की गई राशि का सहायक कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये)

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सीआईएल एवं सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट एवं व्यय								
कंपनी	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	आवंटन	उपयोग की गई राशि	आवंटन	उपयोग की गई राशि	आवंटन	उपयोग की गई राशि	आवंटन	उपयोग की गई राशि (अनन्तिम)
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	43.46	37.19*	43.59 #	43.59	45.17	49.46	47.65	27.34 (नवंबर '19 तक)

*6.27 करोड़ रूपये राशि के सीएसआर कार्यकलापों को वर्ष 2016–17 से 2017–18 में अग्रेषित किया गया था तथा पूरा करने के मानक को पूरा किया गया था। रु वर्ष 2016–17 से अग्रेषित 6.27 करोड़ रूपये (37.32 करोड़6.27 करोड़ रूपये) शामिल है।